रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2006/चैत्र 28, 1928
No. 359] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2006/CHAITRA 28, 1928

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2006

का.आ. 545(अ).—चूंकि, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उप-धारा (1) के तहत जारी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), बैंकिंग प्रभाग की दिनांक 3 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 478(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजगढ़-सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का समामेलन करके उनको एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे "नर्मदा-मालवा ग्रामीण बैंक" कहा जाएगा और जिसका प्रधान कार्यालय "इंदौर" में होगा, में परिवर्तित करना अधिसूचित किया है;

अतः, अब, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजगढ़-सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना समाप्त कर चुके हैं, 3 अप्रैल, 2006 से भंग हुए माने जाएंगे और यह निदेश उक्त अधिनियम की धारा 26 में शामिल किसी भी विपरीत प्रावधान के रहते हुए भी प्रभावी होगा।

[फा. सं. 1(4)/2006-आरआरबी (i)]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2006

S.O. 545(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Baking Division, number S.O. 478(E), dated 3rd April, 2006, issued under Sub-section (1) of Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of the Dewas-Shajapur Kshetriya Gramin Bank, Rajgarh-Sehore Kshetriya Gramin Bank, Nimar Kshetriya Gramin Bank and Indore-Ujjain Kshetriya Gramin Bank (Regional Rural Banks) sponsored by Bank of India into a single Regional Rural Bank called as "Narmada Malwa Gramin Bank" with its Head Office at "Indore".

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), hereby directs that with effect from 3rd April, 2006, Dewas-Shajapur Kshetriya Gramin Bank, Rajgarh-Sehore Kshetriya Gramin Bank, Nimar Kshetriya Gramin Bank and Indore-Ujjain Kshetriya Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 of the said Act.

[F. No. 1(4)/2006-RRB (i)]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2006

का.आ. 546(अ).—चूंकि, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उप-धारा (1) के तहत जारी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), बैंकिंग प्रभाग की दिनांक 31 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 468(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित काकतिया ग्रामीण बैंक, मंजीरा ग्रामीण बैंक, नागार्जुन ग्रामीण बैंक, संगमेश्वरा ग्रामीण बैंक तथा श्री विशाखा ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का समामेलन करके उनको एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे "आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक" कहा जाएगा और जिसका प्रधान कार्यालय "वारंगल" में होगा, में परिवर्तित करना अधिसूचित किया है;

अतः, अब, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि काकतिया ग्रामीण बैंक, मंजीरा ग्रामीण बैंक, नागार्जुन ग्रामीण बैंक, संगमेश्वरा ग्रामीण बैंक तथा श्री विशाखा ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना समाप्त कर चुके हैं, 31 मार्च, 2006 से भंग हुए माने जाएंगे और यह निदेश उक्त अधिनियम की धारा 26 में शामिल किसी भी विपरीत प्रावधान के रहते हुए भी प्रभावी होगा।

[फा. सं. 1(4)/2006-आरआरबी (ii)]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2006

S.O. 546(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Banking Division, number S.O. 468(E), dated 31st March, 2006, issued under Sub-section (1) of Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of the Kakathiya Grameena Bank, Manjira Grammeena Bank, Nagarjuna Grameena Bank, Sangameshwara Grameena Bank and Shri Vishakha Grameena Bank (Regional Rural Banks) sponsored by State Bank of India into a single Regional Rural Bank called as "Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank" with its Head Office at "Warangal".

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), hereby directs that with effect from 31st March, 2006, the Kakathiya Grameena Bank, Manjira Grammeena Bank, Nagarjuna Grameena Bank, Sangameshwara Grameena Bank and Shri Vishakha Grameena Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 of the said Act.

[F. No. 1(4)/2006-RRB (ii)]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2006

का.आ. 547(अ).—चूंकि, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उप-धारा (1) के तहत जारी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), बैंकिंग प्रभाग की दिनांक 31 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 469(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का समामेलन करके उनको एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे "बड़ौदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक" कहा जाएगा और जिसका प्रधान कार्यालय "बरेली" में होगा, में परिवर्तित करना अधिसूचित किया है;

अतः, अब, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना समाप्त कर चुके हैं, 31 मार्च, 2006 से भंग हुए माने जाएंगे और यह निदेश उक्त अधिनियम की धारा 26 में शामिल किसी भी विपरीत प्रावधान के रहते हुए भी प्रभावी होगा।

[फा. सं. 1(4)/2006-आरआरबी (iii)]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2006

S.O. 547(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Banking Division, number S.O. 469(E), dated 31st March, 2006, issued under Sub-section (1) of Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of the Bareilly Kshetriya Gramin Bank and Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank (Regional Rural Banks) sponsored by Bank of Baroda into a single Regional Rural Bank called as "Baroda Western Uttar Pradesh Gramin Bank" with its Head Office at "Bareilly".

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), hereby directs that with effect from 31st March, 2006, the Bareilly Kshetriya Gramin Bank and Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 of the said Act.

[F. No. 1(4)/2006-RRB (iii)]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2006

का.आ. 548(अ).—चूंकि, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उप-धारा (1) के तहत जारी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), बैंकिंग प्रभाग की दिनांक 24 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 385(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद द्वारा प्रायोजित श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक, श्री रामा ग्रामीण बैंक तथा गोलकोंडा ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का समामेलन करके उनको एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे "दक्कन ग्रामीण बैंक" कहा जाएगा और जिसका प्रधान कार्यालय "रंगारेड्डी" में होगा, में परिवर्तित करना अधिसूचित किया है;

अतः, अब, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक, श्री रामा ग्रामीण बैंक तथा गोलकोंडा ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना समाप्त कर चुके हैं, 24 मार्च, 2006 से भंग हुए माने जाएंगे और यह निदेश उक्त अधिनियम की धारा 26 में शामिल किसी भी विपरीत प्रावधान के रहते हुए भी प्रभावी होगा।

[फा. सं. 1(26)/2005-आरआरबी]

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2006

S.O. 548(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Banking Division, number S.O. 385(E), dated 24th March, 2006, issued under Sub-section (1) of Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of the Sri Saraswathi Grameena Bank, Sri Sathavahana Grameena Bank, Sri Rama Grameena Bank and Golconda Grameena Bank (Regional Rural Banks) sponsored by State Bank of Hyderabad into a single Regional Rural Bank called as "Deccan Grameena Bank" with its Head Office at "Rangareddy".

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), hereby directs that with effect from 24th March, 2006, the Sri Saraswathi Grameena Bank, Sri Sathavahana Grameena Bank, Sri Rama Grameena Bank and Golconda Grameena Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 of the said Act.

[F. No. 1(26)/2005-RRB]

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.